



टीक-राज
आतिरिक्त खाली मॉडरेंट
न्याय निर्णय आधिकारिक एवं
(समरपन साकारिया)
BCL

30/11/2017 को खले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

कृपया ध्यान देकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

को अपील की अवधि खतील होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकायी, टीक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने रसीद पेश करे। एक माह के अन्दर शारित जमा नहीं करवाने पर शारित बर्सेली की कर्तव्यहीनता से राजकोष में संबन्धित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर (अधरे पन्द्रह हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जारिये अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शारित रुपये 15,000/- अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जमाने की श्रेणी में आता है। अतः अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा (खीया) का नमूना जांच में हमने अप्रार्थी एवं प्रेकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व

आता है, इसलिए अप्रार्थी को शारी से शारी जमाने से दण्डित किया जावे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जमाने की श्रेणी में विकस्य कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा (खीया) का प्रेकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रेकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना

करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शारित के साथ निस्तारण किया जावे। लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के अप्रार्थी श्री विष्णु कुमार साहू स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीमाण को जारिये नोटिस तलब किया गया।